25/3 पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। प्रार्थी व उनके वकील उप० हो आए। पत्रावली अवलोकन [illegible] फैसले के वास्ते रखी जाती है। पत्रावली फैसला सुनाया [illegible] के हक को संलग्न [illegible] जाए

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner